

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत—जिला कलक्टर


मुकाम : दौसा

कैलाश बनाम

राजस्थान सरकार वगै०

किस्म मुकदमा— रैफरेन्स अंतर्गत धारा 82

नम्बर 02/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2022	<p>अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत नियत तारीख से तलब करने हेतु रैफरेन्स पत्रावली प्रस्तुत होने पर नियत तारीख से पत्रावली तलब की जाकर आज पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण उनवानी प्रकरण कैलाश बनाम राजस्थान सरकार वगै० विद्वा कर खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता को सुना गया।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स अंतर्गत धारा 82 कैलाश बनाम राजस्थान सरकार वगै० विचाराधीन है। उक्त प्रकरण को प्रार्थी आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण नोट प्रेस में खारिज फरमा दिया जावे।</p> <p>राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी है कि प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। यदि प्रकरण नोट प्रेस में खारिज कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किये जाने स्वीकार किया जाता है। रैफरेन्स प्रकरण उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार वगै० प्रकरण संख्या 02/2020 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। अप्प्रीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलक्टर दौसा</p> <div style="text-align: center;"> सत्यमेव जयते New Copy - Not Original</div>	

